भारत सरकार
प्रधान मुख्य आयकरआयुक्त का कार्यालय,
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना
10 वीं मंजिल, सी ब्लॉक,
आयकर शिखर,
ए.सी. गार्ड्स, हैदराबाद-500 004
टेलीफोन :040 – 2323 6778
e-mail: hyderabad.ito.hq.welfare@ incometax.gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
Office of the
Pr. Chief Commissioner of Income Tax,
Andhra Pradesh & Telangana
10th Floor, C Block, Income Tax Towers,
AC Guards, Hyderabad-500004
Tel No:040 - 2323 6778
e-mail: hyderabad.ito.hq.welfare@ incometax.gov.in

F.No.Pr.CCIT/WEL/Sports/2026-27 Date: 12.08.2026.

ज्ञापन

*****

यह सूचित किया जाता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के सभी खिलाड़ियों को 31.07.2026 तक किसी भी प्रशिक्षण शिविर/अभ्यास/खेल आयोजन में भाग लेने के लिए दी गई सभी अनुमतियाँ तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती हैं। हालांकि, इसका प्रभाव वर्तमान में चल रहे किसी भी प्रशिक्षण शिविर/अभ्यास/खेल आयोजन या अगले 15 दिनों तक चलने वाले आयोजनों पर नहीं पड़ेगा।
इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण शिविर/अभ्यास/खेल आयोजनों में भाग लेने वाले किसी भी खिलाड़ी को यदि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय से पूर्व अनुमति लेनी है, तो संबंधित अधिकारी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं:

1. संबंधित भारतीय महासंघों/राज्य खेल संघों से उस विशिष्ट आयोजन के लिए पत्र जिसके लिए अनुमति मांगी जा रही है।

2. इस कार्यालय से अनुमति मांगने वाले खिलाड़ी को अंतर-विभागीय खेल आयोजनों जैसे कि सीआरएससीबी और एआईसीएस (अखिल भारतीय सिविल सेवा खेल और सांस्कृतिक बोर्ड) में भाग लेना होगा।

3. विभागाध्यक्ष की अनुमति, मामले के अनुसार।

किसी भी स्पष्टीकरण या चल रहे/स्थायी खेल आयोजनों के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होने पर, आयकर अधिकारी (मुख्य.) (कल्याण) श्री मनजीत लोहान से मोबाइल नंबर 8985970505 पर संपर्क किया जा सकता है।

यह आदेश आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से जारी किया गया है।

MEMORANDUM

*****

It is to inform that all the permissions granted till 31.07.2026 to the sportspersons, across Andhra Pradesh and Telangana, for participating in any training camp/practice/sporting events, stands with drawn with immediate effect. However, the same shall not affect any currently ongoing training camp/practice/sporting events or for the next 15 days.

Further, any sportsperson participating in training camp/practice/sporting events and is seeking prior permission from the Office of the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, Andhra Pradesh and Telangana, the following documents are required to be furnished by the concerned official:

1. Letter from the Indian Federations/State Sports Associations concerned for the specific event for which permission is being sought.
2. The sportsperson who is seeking permission from this office has to participate in the inter-departmental sports events like CRSCB and AICS (All India Civil Services Sports and Cultural Board).
3. The recommendation of Head of Department, case by case.

In case of any clarification, or any special permission is required for due/ongoing sports events, the Shri Manjit Lohan, ITO(HQ)(Welfare) may be contacted over the mobile number 8985970505.

This is issued with the prior approval of the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, Andhra Pradesh and Telangana.

(तादिमल्ला सुनील गौतम)/(TADIMALLA SUNIL GOUTAM)
अपर आयकर आयुक्त/ Addl. Commissioner of Income Tax(Hqrs)(Admn&Vig),
आ. प्र.एवं तेलंगाना,हैदराबाद/AP & Telangana, Hyderabad

प्रतिलिपि :

1) आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आयकर विभाग के विभागाध्यक्षों को।
2) सभी खिलाड़ियों को उनके विभागाध्यक्षों के माध्यम से।

Copy to: 1) The Heads of Departments in Income Tax Department across Andhra Pradesh and Telangana.
2) All the sportspersons through their HoDs.